कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

मो0 अतहर हुसैन,
पिता स्व0 झमन,
ग्राम– गुमो, वार्ड नं0 22,
झु0 ति0, जिला–कोडरमा।

विविध वाद सं0 ..07../2017–18

27.5.17 आवेदक मो0 अतहर हुसैन, पिता स्व0 झमन, ग्राम गुमो, वार्ड नं0 22, झु0 ति0, जिला–कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 350, 352, 353, 354, रकवा 4.21½ ए0 भूमि की सरकारी रसीद मो0 अख्तर एवं मो0 अतहर हुसैन, पिता स्व0 झमन के नाम से निर्गत होते आ रहा था। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 12.06.17...... को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

12.06.17
27.06.17 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 350 वगैरह, रकवा 4.21½ ए0 का जमाबन्दी पंजी ।। के पेज नं0 176/3 पर मो0 अख्तर एवं मो0 अतहर हुसैन, पिता स्व0 झमन के नाम से दर्ज था। उक्त भूमि बकास्त खाते की है। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी ।। वर्षो पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्थल जांच के क्रम में मो0 एहतशाम पिता अतहर हुसैन, मो0 तनवीर पिता मो0 जहीर उद्दीन, मो0 ईमतियाज पिता मो0 सिकन्दर, मकदुम आलम पिता मो0 इस्माईल सेख वगैरह से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है।

आवेदक के द्वारा लगान रसीद 2175663 दिनांक 21.1.2004, 459633 दिनांक 02.1.1963 एवं 136282 दि0 04.01.1959 की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। पर मो0 अख्तर एवं मो0 अतहर हुसैन, पिता स्व0 झमन के नाम से दर्ज था।

Scanned with CamScanner

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 350, 352, 353, 354 में भिन्न भिन्न प्लॉटों में कुल रकवा 4.21½ ए0 भूमि का स्थानीय जांच आवेदक की उपस्थिति में किया गया, जिसमें पाया गया कि संबंधित भूमि पर खेती बारी का कार्य किया जा रहा है एवं कुछ प्लॉट परती टांड है। स्थल पर आवेदक द्वारा संबंधित भूमि पर अपना दखल कब्जे बताया गया। दखल कब्जे से संबंधित लेख्य प्रमाणक, कोडरमा द्वारा निर्गत शपथ पत्र सं0 01 दिनांक 10.06.17 संलग्न किया गया है, जिसमें उल्लेखित किया गया कि कुल रकवा 4.21½ ए0 पर शांति पूर्वक दखल कब्जा है तथा संबंधित भूमि की बिक्री नहीं किए हैं। स्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपति नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा गुमो अर्न्तगत खाता नं0 350, 352, 353, 354, रकवा 4.21½ ए0 पर आवेदकगण का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू–भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 350, 352, 353, 354, रकवा 4.21½ ए0 भूमि की जमाबन्दी पूर्व की भांति जमाबंदीधारक मो0 अख्तर एवं मो0 अतहर हुसैन, पिता स्व0 झमन के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with CamScanner